

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 34 / 2017-18 / 193 / भू0अ0, दिनांक- 14.3.2018

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) में सम्पर्क पथ हेतु मौजा-समदानाला, थाना-साहेबगंज, थाना सं0-01, अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में कुल-2.49 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 2.49 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता (पंजी-11/ वर्तमान दखलकार रैयत के आधार पर)	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		33	रैयती	बाग आम	0.44	राधा मिस्त्री, पुरानी साहेबगंज	I.W.A.I. बंदरगाह के लिए पूर्व में प्रस्तावित भूमि	मौजा-हाथीगढ़ सड़का का सिमाना	खेसरा नं0-43p, 444p, 45p, 49p, 48p, 58p, 59p	खेसरा नं0-42p, 55p, सड़क, खेसरा नं0-58p, 33p
2		33	रैयती	बाग आम	0.10	परसुराम पिता-स्व0 केशो यादव				
3		42	रैयती	बाड़ी-1	0.17	अशोक यादव पिता-स्व0 यमुना प्र0 यादव				
4		42	रैयती	बाड़ी-1	0.19	भीम यादव पिता-स्व0 राज कुमार यादव				
5		42	रैयती	बाड़ी-1	0.06	1.अमृता देवी, पति-राजीव कु0 यादव 2. भोला यादव पिता-स्व0 गंगा सागर यादव				
6		43	रैयती	बाड़ी-2	0.035	गोरखनाथ यादव पिता-स्व0 श्री कृष्ण यादव				
7		44	रैयती	बाड़ी-1	0.09	शिवनाथ गड्ढेरी				
8		45	रैयती	मकान	0.005	शिवनाथ गड्ढेरी				
9		49	रैयती	मकान	0.05	शिवनाथ गड्ढेरी				
10		48	रैयती	मकान	0.005	शंभु यादव पिता-स्व0 सूरजनाथ यादव				
11		50	रैयती	बाड़ी-1	0.05	राजाराम गड्ढेरी				
12		51	रैयती	बाड़ी-1	0.04	शिवनाथ गड्ढेरी				
13		52	रैयती	बाड़ी-1	0.04	रजीया बीबी				
14		53	रैयती	मकान	0.01	रजीय बीबी				
15		54	रैयती	मकान	0.04	महन्त यादव				
16		55	रैयती	बाड़ी-1	0.07	महन्त यादव				
17		58	रैयती	बाड़ी-1	0.1162	अमरनाथ यादव पिता-स्व0 दिलराम यादव	Aquaria land of Terminal Plot No-71p, 73p, 78p, 74p, 75p	Road	Plot No-107p, 108p	Aquaria land of Terminal and Road
18		58	रैयती	बाड़ी-1	0.13	भीम यादव पिता-स्व0 विश्वनाथ यादव				
19		58	रैयती	बाड़ी-1	0.13	अर्जुन यादव				
20		58	रैयती	बाड़ी-1	0.0438	शंभु यादव पिता-स्व0 सूरजनाथ यादव				
21		57	रैयती	मकान	0.12	कविता देवी पति-राम निवास यादव				
22		59	रैयती	बाड़ी-1	0.045	अर्जुन यादव पिता-स्व0 विश्वनाथ यादव				
23		59	रैयती	बाड़ी-1	0.04	सुरेन्द्र यादव पिता-स्व0 विश्वनाथ यादव				
24		71	रैयती	बाड़ी-2	0.08	मोहनलाल मारवाड़ी				
25		73	रैयती	बगान	0.07	रामस्वरूप गोप एवं अन्य				
26		74	रैयती	मकान	0.07	रामस्वरूप गोप एवं अन्य				

27		78	रैयती	बाड़ी-1	0.12	रामस्वरूप गोप एवं अन्य				
28		77	रैयती	मकान	0.02	धनेश्वरी ग्वालीन जोजे वंषी गोप				
29		75	रैयती	बाड़ी-1	0.05	धनेश्वरी ग्वालीन जोजे वंषी गोप				
30		76	रैयती	मकान	0.06	धनेश्वरी ग्वालीन जोजे वंषी गोप				
कुल रकवा-					2.49					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-.....X....., थाना-..... X, थाना सं०-..... X, अंचल-..... X, जिला-.....X.....
 .., क्षेत्रफल-.....X..... एकड़ यानिX..... हे० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

ह०—
 उपायुक्त,
 साहेबगंज।

ज्ञापांक~~19~~...../भू०अ०, साहेबगंज, दिनांक

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०—
 उपायुक्त,
 साहेबगंज।

ज्ञापांक193...../भू०अ०, साहेबगंज, दिनांक 14.3.2018.....

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।

14/03/18
 उपायुक्त,
 साहेबगंज।